

न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बड़जलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 72/2024/अपील/एलआरएक्ट/बारां कोर्ट कैंप
दायरा दिनांक: 20.09.2024
अन्तर्गत धारा: 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

ओमप्रकाश पुत्र सुखपाल जाति मेहर, निवासी ग्राम मवासा, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबड़ौद, जिला बारां

... रेस्पोंडेन्ट


उपस्थित : श्री संजय नागर अभिभाषक —अपीलार्थी
पेरोकार सरकार — रेस्पोंड

::निर्णय::

दिनांक 02.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 01/2024 (पंजीकरण सं0 2024/9) बउनवान ओमप्रकाश बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 23.04.2024 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरुद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

- 1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा प्रकरण संख्या 496/2022 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 22.11.2022 से अपीलार्थी को वाके ग्राम टांचा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2079 में खसरा संख्या 1031 की 1.00 बीघा भूमि पर फसल मक्का की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 1 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 50/- रुपये शास्ति से दण्डित किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 19.06.2023 से खारिज की गई। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ



संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना सुनवायी, जवाबदेही का अवसर दिये एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है, जबकि अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है ना ही ऐसे कोई साक्ष्य पत्रावली पर हैं। अपीलार्थी के द्वारा उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा भूमि खाली पड़ी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये अपीलार्थी को सजायाब करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पों पैरोकार सरकार सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ोद के द्वारा बिना सुनवायी एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है, जबकि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा नही है तथा कब्जा छोड़ दिया है। उक्त आराजी खाली पड़ी है। इस प्रकार बिना मौके की जांच किये अपीलार्थी को सजायाब कर दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।
- 4 रेस्पों पैरोकार सरकार ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित होना प्रकट किया गया।
- 5 प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन कर बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पों पैरोकार सरकार पर मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ोद द्वारा प्रकरण संख्या 496/2022 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 22.11.2022 से अपीलार्थी को वाके ग्राम टांचा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्बत् 2079 में खसरा संख्या 1031 की 1.00 बीघा भूमि पर फसल मक्का की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 1 माह की सिविल कारावास की सजा एवं



समानानुसार जांच की
कोटा संभाग, कोटा

50/- रुपये शास्ति से दण्डित किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 1906.2023 से खारिज की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क है कि न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद के द्वारा अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है, जबकि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा नहीं है तथा कब्जा छोड़ दिया है। उक्त आराजी खाली पड़ी है। इस प्रकार बिना मौके की जांच किये अपीलार्थी को सजायाब कर दिया गया। इस प्रकार सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना सजायाब कर दिया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है, न्यायालय के द्वारा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के अपीलार्थी के विरुद्ध 91 के तहत प्रकरण संख्या 496/2022 दिनांक 04.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उक्त दिनांक को धारा 91(3) एलआरएक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। इसके उपरांत न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के द्वारा दिनांक 22.11.2022 को उक्त प्रकरण में अपीलार्थी के अनुपस्थित होने पर निर्णय दिनांक 22.11.2022 से 1 माह के सिविल कारावास एवं 50/- रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया। किंतु प्रकरण में पटवारी एवं आईएलआर के द्वारा दिनांक 21.10.2022 को प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि उक्त रिपोर्ट में तहसीलदार, छीपाबड़ौद के द्वारा दिनांक 22.11.2022 को निर्णय किये जाने से पूर्व ही उक्त रिपोर्ट पटवारी में "एक माह की सजा" का अंकन किया गया है, जो उचित प्रकट नहीं होता है। साथ ही पत्रावली में उपलब्ध बयान पटवारी में दिनांक का अंकन नहीं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि पटवारी के द्वारा किस दिनांक को बयान प्रस्तुत किये गये तथा ना ही पटवारी रिपोर्ट एवं बयान में यह स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी के द्वारा पूर्व में कितने रकबे पर अतिक्रमण किया गया था तथा कितनी शास्ति आरोपित की गई थी। न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के द्वारा प्रकरण दिनांक 04.11.2022 को दर्ज किये जाने के उपरांत अपीलार्थी के सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय दिनांक 22.11.2022 पारित किया जाना प्रकट होता है, जबकि प्राकृतिक न्याय के दृष्टि से अपीलार्थी को सुना जाना आवश्यक प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 23.04.2024 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत आराजी पर से अपीलार्थी द्वारा कब्जा हटा लिया हो तथा भविष्य में कभी राजकीय भूमि पर कब्जा नहीं करने


 आंगीय आयुक्त
 कोटा संभाग, कोटा

बाबत अपीलार्थी परीक्षण न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद में शपथ-पत्र पेश कर दे तथा मौके पर उक्त अतिक्रमित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा नहीं होने की पुष्टि तहसीलदार, छीपाबडौद स्वयं अथवा भू-अभिलेख निरीक्षक से करवाये जिसमें यह साबित हो जाए कि अपीलार्थी/अतिक्रमी द्वारा कब्जा छोड़ दिया है तो 1 माह के सिविल कारावास के दण्ड के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश जुर्माना आदि यथावत रहेगा। यदि मौके पर अपीलार्थी का कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड यथावत रहेगा।

6 निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा